

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 6 मई, 2019

सा.का.नि. 127.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर (वर्ग -3 पद) नियम, 1958 को, जहां तक उनका संबंध पुस्तकालय सहायक के पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान पुस्तकालय और सूचना सहायक (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—कोई व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यवृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयुसीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
पुस्तकालय और सूचना सहायक	01*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" अराजपत्रित, अननुसचिबीय	स्तर 6 (₹ 35,400 - 1,12,400)

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अनधिक टिप्पण: 1 केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के	आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से

	<p>अनुसार सरकारी लेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण: 2</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।)</p>	<p>पुस्तकालय विज्ञान अथवा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री।</p> <p>(ii) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा स्वायत्तशासी अथवा कानूनी संगठन अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान अथवा शैक्षणिक संस्थान के पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव।</p> <p><b>बांछनीय:</b></p> <p>i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों को लेखबद्ध करके सक्षम प्राधिकारी के विक्रैकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>
--	--	---

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयुसीमा और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित)/आमेलन द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है।	वे परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य-क्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रम अथवा स्वायत्तशासी अथवा कानूनी संगठन अथवा मान्यताप्राप्त संस्थान के अधिकारी, जो</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; अथवा</p> <p>(ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29,200 रुपए - 92,300 रुपए) में नियमित आधार पर उक्त श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात छह वर्ष की सेवा की हो; और</p>	<p>समूह "ख" विभागीय पुष्टिकरण समिति में निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - अध्यक्ष</li> <li>2. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य</li> <li>3. राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर का आचार्य की पंक्ति का कोई अधिकारी - सदस्य</li> </ol>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

<p>(व) मन्त्र (7) के अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखने हों।</p> <p><b>टिप्पण:-1</b> केवल केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी आमेसन आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे।</p> <p><b>टिप्पण:-2</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण:-3</b> प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	
--	--

[फा. सं. ए-12018/17/2016-एसए]

राजीव महेन्द्र, उप सचिव

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**

(Department of Food and Public Distribution)

New Delhi, the 6th May, 2019

**G.S.R. 127.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Sugar Institute, Kanpur (class III posts) Rules, 1958, in so far as they relate to the post of Library Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Assistant, in the National Sugar Institute, Kanpur under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, namely :-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the National Sugar Institute, Kanpur, Library and Information Assistant, (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

14182 97 7091  
5926  
13117

## SCHEDULE

Name of post	Number of Post	Classification	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Library and Information Assistant.	01*(2019) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	level 6 (Rs.35400-Rs.112400).

Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Not applicable	<p>Not exceeding Thirty years</p> <p><b>Note: 1</b> Relaxable to Govt. Servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.</p> <p><b>Note: 2</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Himachal Pradesh, and Union Territory of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p>	<p><b>Essential:</b></p> <p>i. Bachelor degree in Library Science or Library and Information Science from a recognized University or Institute.</p> <p>ii. two years professional experience in a Library under the Central Government or State Government or Autonomous or Statutory organization or public sector undertaking or University or recognized research or educational institute.</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>i. Diploma in Computer Application from a recognized University or institute.</p> <p><b>Note 1:-</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:-</b> The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of the selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for direct recruits	By deputation (including short term contract)/ absorption failing which by direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p>Deputation (including short term contract); Officers of the Central Government or State Governments or Union Territory or public sector undertakings or autonomous or statutory organizations or institutions recognised,-</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>(ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 5 (Rs. 29,200-92,300) in the pay matrix; and</p> <p>(b) possessing the educational qualification and experience as prescribed in column (7)</p> <p><b>Note:-1</b> Only Officers of Central Government or State Governments or Union Territories shall be eligible for consideration for appointment on absorption basis</p> <p><b>Note:-2</b> The period of deputation including period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note:-3</b> The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p><b>Group 'B' Departmental Confirmation Committee consisting of:-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director, National Sugar Institute, Kanpur. -Chairman</li> <li>2. Senior Administration Officer, National Sugar Institute, Kanpur. -Member</li> <li>3. An Officer in the rank of Professor, National Sugar Institute, Kanpur. -Member</li> </ol>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary</p>

[F.No. A-12018/17/2016-SA]

RAJIV MAHENDRU, Dy. Secy.

**ALOK  
KUMAR**

Digitally signed  
by ALOK KUMAR  
Date: 2019.05.22  
15:56:15 +05'30'